न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जय[पुर]

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : राज. अपील/अपील-204/2009 ...[illegible]... बनाम [illegible]

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे[ष] विवर[ण]
6-6-17	पत्रावली पेश हुई। मुताबिक पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 14.06.17 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
14.06.17	पत्रावली पेश हुई। मुताबिक पक्षकारान उपस्थित। अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। सिविल कारावास वाला अंश निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। निर्णय सदर इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

अपील संख्या : 204 / 2009

छोटूराम पुत्र श्री गणेश, जाति–बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम फतेहपुरा, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर।

1/1 मु.जीवणी पत्नी हरिनारायण, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम देवला, तहसील–दूदू, जिला–जयपुर।

1/2 मु. गणेशी देवी पत्नी मंगलचन्द जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मुकन्दपुरा (बिन्दायका) तहसील–जयपुर।

1/2/1 मंगलचन्द पुत्र भंवर पति गणेशी देवी, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मुकन्दपुरा (बिन्दायका) तहसील–जयपुर।

1/2/2 रामनिवास पुत्र मंगलचन्द जाति–ब्राहम्ण, निवासी– मुकन्दपुरा (बिन्दायका) तहसील–जयपुर।

1/2/3 हरसहाय पुत्र मंगलचन्द जाति–ब्राहम्ण, निवासी– मुकन्दपुरा (बिन्दायका) तहसील–जयपुर।

1/3 सीताराम पुत्र स्व0 छोटू, जाति–बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी–सांभरिया रोड़, ग्राम फतेहपुरा, तहसील–जयपुर।

1/4 मु. आनन्दी उर्फ नैना पत्नी छीतरमल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम मुकन्दपुरा बिन्दायका, तहसील–जयपुर।

1/5 गोपाल पुत्र स्व0 छोटू जाति–बागडा ब्राहम्ण, निवासी–सांभरिया रोड़, ग्राम–फतेहपुरा, तहसील–जयपुर।

1/6 ग्यारसीलाल पुत्र स्व0 छोटू, जाति–बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी–सांभरिया रोड़, ग्राम–फतेहपुरा, तहसील–जयपुर।

1/7 मु. रामा पत्नी जगदीश, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम सांगोलाई, पोस्ट–मुण्डियारामसर, तहसील–जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, कालवाड़, जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्ट

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.09.1996 उप–तहसीलदार, कालवाड़, जिला–जयपुर बमिसल संख्या 159 / 1996 उनवानी सरकार बनाम छोटू अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956)

1. श्री रामचन्द्र देगडा, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक : 14.06.2017

उप–तहसीलदार, कालवाड़ ने अपनी आज्ञा दिनांक 03.09.1996 द्वारा छोटू पुत्र श्री गणेश, जाति–बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी–फतेहपुरा, तहसील–जयपुर जिला–जयपुर की आराजी खसरा नम्बर 196 रकबा 4 बीधा एवं आराजी खसरा नं0 201 रकबा 2 बीधा कुल किता 02 रकबा 6 बीधा पर सम्वत् 2052 फसल रबी में काश्त गेंहू कर किस्म जमीन चरागाह भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने का दोषी पाये जाने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमियों को विवादग्रस्त आराजी से बेदखल करने तथा वार्षिक लगान की 50 गुणा राशि रू0 1050/– शास्ति आरोपित कर, आदेश की पालना में टी.आर.ए. /पटवारी हल्का को मांग कायमी, बेदखली हेतु लिखे जाने के तथा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के लिए छोटू पुत्र गणेश को तीन माह की सिविल कारावास की सजा के आदेश दिये गये हैं, जिससे व्यथित होकर न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर में दिनांक 02.07.1997 को अपील प्रस्तुत की गई है, अपील प्रस्तुत होने पर जिला कलक्टर, जयपुर की आज्ञा दिनांक 21.03.1998 द्वारा अपील मियाद बाहर होने से खारिज कर दी गई, जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर को किये जाने पर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.1998 को निरस्त कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किये जाने हेतु इस न्यायालय को रिमाण्ड किया हैं।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री रामचन्द्र देगड़ा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 03.09.1996 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित की गई है। मातहत न्यायालय ने अपीलान्ट् को साक्ष्य–सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर मनमाने तौर पर एकतरफा आज्ञा पारित की है, जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट् का विवादग्रस्त आराजी चरागाह पर कोई अतिचार नहीं है बल्कि वास्तविकता तो यह है कि विवादग्रस्त आराजी के समीप अपीलान्ट की खातेदारी आराजी खसरा नं0 197 व आराजी खसरा नं0 200 स्थित हैं और अपीलान्ट का अपनी खातेदारी भूमि पर ही कब्जा रहा हैं। अपीलान्ट का सम्वत् 2052 में कोई अतिचार नही रहा हैं सम्वत् 2052 से पूर्व कब्जा था परन्तु सीमा की जानकारी कराई जाने पर कब्जा छोड़ दिया गया था। अपीलान्ट–गैर सायल छोटू की मृत्यु हो चुकी हैं। विवादग्रस्त भूमि पर कोई अतिचार नहीं हैं।

अतः अपील–अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 03.09.1996 निरस्त फरमाई जावे।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन हैं कि अपीलान्ट–गैर सायल की मृत्यु हो चुकी हैं और वादग्रस्त आराजी पर अतिचार नहीं हैं। अतः नियमानुसार निर्णय फरमाया जावे।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 से यह जाहिर होता हैं कि अपीलान्ट–गैर सायल छोटू की मृत्यु हो चुकी हैं और विरासत का नामान्तरकरण वारिसान का नाम स्वीकार हो चुका है। ऐसी स्थिति में यह जाहिर हैं कि अपीलान्ट–गैर सायल छोटू की मृत्यु हो चुकी हैं। पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 15.11.1996 एवं दिनांक 28.01.2006 से भी यह जाहिर होता हैं कि वादग्रस्त आराजी पर छोटू पुत्र गणेश का अतिचार नहीं हैं। वरवक्त बहस अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा भी यह कथन किया गया हैं कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट अथवा अपीलान्ट के वारिसान का कोई कब्जा नहीं हैं। चूंकि अपीलान्ट–गैरसायल की मृत्यु हो चुकी हैं और पत्रावली पर यह तथ्य मौजूद हैं कि वादग्रस्त आराजी पर अतिचार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा को आंशिक रूप से अपास्त किया जाना न्यायोचित पाते हैं। अतः अपील–अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 03.09.1996 में सिविल कारावास का अंश निरस्त किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

14/6/17

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर